an>

Title: Need to absorb para teachers in Jharkhand as primary teachers - Laid

श्री विद्युत वरण महतो (जमशेदपुर): सर्वशिक्षा अभियान को सन् 2002 में संविधान में संशोधन कर लागू किया गया था। इसके तहत झारखण्ड राज्य में लगभग 78 हजार पारा शिक्षकों की नियुक्ति सन 2002 से 2010 के बीच में की गई है। ये पारा शिक्षकगण 16-17 वर्षों से ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ शिक्षा के क्षेत्र में झारखण्ड का नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही साथ ये लोगों को पंचायत चुनाव, विधान सभा चुनाव, लोक सभा चुनाव के कार्य संचालन एवं मतगणना कार्यों में भी लगाया जाता है। यहां तक किसी भी प्रकार के जनगणना तथा भारत सरकार की दस वर्षीय जनगणना का कार्य भी पारा शिक्षकों के द्वारा ही किया गया है। लेकिन इन लोगों को झारखण्ड सरकार के द्वारा अल्प मानदेय दिया जा रहा है। जबकि देश के लगभग सभी राज्यों में पारा शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक बना दिया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम आदि राज्यों में उन्हें पूरा वेतनमान दिया जा रहे हैं। लेकिन झारखण्ड राज्य के पारा शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक में समायोजन नहीं किया गया है जिससे इन्हें पूरे वेतनमान नहीं मिलने से अपना परिवार चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और आज झारखण्ड के सभी 78 हजार पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर प्रतिदिन संघर्ष कर रहे हैं।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि अविलम्ब झारखण्ड सरकार से परामर्श कर सभी 78 हजार पारा शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर समायोजन कराने की कृपा की जाये।